न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 95/2020

उनवान

1. शरीफ पुत्र पीरू खां
2. हनीफ पुत्र पीरू खां जाति पठान निवासी ग्राम अजबा का बाडिया, नसीराबाद

––– वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री शांति प्रकाश शर्मा

बनाम

1. इकबाल मौ.,
2. शहादत अली पि0 वाजिद खां,
3. झुम्मी पत्नी इकबाल मौहम्मद,
4. मुमताज पत्नी शहादत अली जाति पठान नि0 अजबा का बाडिया, नसीराबाद,
5. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

––– प्रतिवादीगण :– 1 से 4 जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत
5 जरिये राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :– दिनांक :– 7/9/22

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम अजबा का बाडिया प0म0 बनेवडा में स्थित निम्न आराजी वादीगण की खातेदारी की है :–

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
172/157	773	0.43	बारानी 3
	788/985	0.20	बारानी 3

आराजी मुतनाजा वादीगण की पुश्तैनी है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नही है इसके उपरान्त भी प्रतिवादीगण वादीगण की आराजी पर जबरन कब्जा कर वादीगण को बेदखल करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने जवाब मय प्रतिदावा पेश कर [illegible] या कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पूर्वज गुलाब खां के [illegible] खां व जलाल खां हुये जिसमें से जलाल खां की [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 से 4 अकबर खां के लडके वाजिद खां के वारिस है। वादीगण गोकुल खां के लडके पी[illegible]के वारिस है। उक्त आराजी पर गुलाब खां के वारिस अकब[illegible]ां व गोकुल खां का

––2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 13:33:18 IST
Reason: SelfAttested

बराबर—बराबर हिस्सा निहित था। आराजी मुतनाजा के चौसाला खसरा नम्बर 299 का कुल रकबा 19—12—0 था। जिसमें 299/1 रकबा 0—10—0 व 299/1 रकबा 0—10—0 अकबर खां के वारिस वाजिद खां व छोटू खां जो प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पूर्वज के खातेदार के रूप में दर्ज था तथा 299/1 मिन रकबा 1—10—0 गोकुल पुत्र गुलाब खां के नाम खातेदारी दर्ज था खसरा नम्बर 299 की शेष भूमि सरकारी खाते में दर्ज थी। वादीगण के पूर्वज गोकुल खां व जलाल खां ने दिनांक 17.5.1967 को अपने हक व हिस्से की भूमि 299/1 रकबा 2—0—0 राजकुमार पुत्र सोहनलाल व अमरचन्द पुत्र मोडूलाल महाजन को बैचान कर दी थी। उपरोक्त भूमि दिनांक 05.01.1977 को प्रतिवादी संख्या 1 से 2 व फकीर मौहम्मद द्वारा कय की गयी। इस प्रकार आराजी मुतनाजा जवाबकर्ता द्वारा कयशुदा होने के बावजूद हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 773 रकबा 0.43 वादीगण के नाम दर्ज कर दिया गया। उक्त इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने के कारण आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को खातेदार दर्ज किया जावे तथा वादीगण का वाद खारिज किया जावे।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :—

1. आया वादग्रस्त आराजी वादीगण की खातेदारी होने से प्रतिवादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी करने से स्थाई निषेघाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ?

—— वादी

2. आया वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से प्रतिवादी संख्या 1 से 4 खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है ?

—— प्रतिवादीगण

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा वादी शरीफ के बयान दर्ज करवाये।

अधिवक्ता प्रतिवादी पे प्रतिदावे के समर्थन में प्रतिवादी इकबाल मौहम्मद व सुलेमान के बयान दर्ज करवाये।

राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :—

तनकी संख्या 1 व 2 :—

वाद पत्र में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में वादीगण की खातेदारी में दर्ज है। खसरा नम्बर 299 का वंर्किग खसरा नम्बर 386 रकबा 2—12—0 भी वंर्किग जमाबंदी में वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त आराजी का चौसाला खसरा नम्बर 299 था जिसका कुल रकबा 19—12—0 था। चौसाला जमाबंदी सम्वत 2021 से 24 में चौसाला खसरा नम्बर 299/1 मिन रकबा 1—10—0 गोकल पुत्र गुलाब खां, खसरा नम्बर 299/1 मिन रकबा 00—10—0 छोटू पुत्र अकबर खां तथा 299/1 मिन रकबा 00—10—10 वाजिद पुत्र अकबर खां के नाम दर्ज थी। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में कथन किया है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पूर्वज गुलाब खां के तीन लडके कमशः अकबर खां, गोकुल खां व जलाल खां। जिसमें से जलाल खां की अविविहित मृत्यु हो गयी। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 अकबर खां के लडके वाजिद खां के वारिस है। वादीगण गोकुल खां के लडके पीरू खां के वारिस है। उक्त आराजी पर गुलाब खां के वारिस अकबर खां व गोकुल खां का बराबर—बराबर हिस्सा निहित था। प्रतिवादी

—3

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 13:33:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्रों अनुसार आराजी मुतनाजा के चौसाला खसरा नम्बर 299/1 रकबा 2-0-0 की आराजी में गोकल व जलाल पुत्र गुलाब खां ने अपना हिस्सा दिनांक 16.6.1967 को राजकुमार पुत्र सोहनलाल व अमरचन्द पुत्र मोडूलाल को बैचान कर दिया था। इसके पश्चात केता राजकुमार पुत्र सोहनलाल व अमरचन्द पुत्र मोडूलाल ने चौसाला खसरा नम्बर 299 रकबा 2-0-0 का बैचान वाजिद खां के पुत्र इकबाल मौहम्मद, शाहदत अली व फकीर मौहम्मद को बैचान कर दिया था। पत्रावली में प्रस्तुत गवाह सुलेमान ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि वादी शरीफ, जलाल खां के गोद गया है तथा जलाल की सारी जमीन शरीफ के गयी थी। किन्तु जलाल द्वारा अपने जीवन काल में ही उक्त आराजी का बैचान कर दिया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि चौसाला खसरा नम्बर 299/1 रकबा 2-0-0 में से जलाल खां व वादीगण के पूर्वज गोकल खां के द्वारा अपना हिस्सा बैचान कर दिया था। तथा प्रतिवादी द्वारा उक्त आराजी का सम्पूर्ण हिस्सा कय किया गया था। वादी द्वारा उक्त वाद में प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। किन्तु चौसाला खसरा नम्बर 299 के हाल खसरा नम्बर 773 प्रतिवादी के पूर्वजों द्वारा विधिवत कय किया गया है। अतः प्रतिवादीगण को पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा उक्त आराजी विधिवत कय की गयी है। हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी त्रुटिपूर्ण तरीके से वादीगण के नाम दर्ज है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उक्त आराजी पर खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है। प्रतिवादी ने अपने जवाब दावे में मात्र हाल खसरा नम्बर 773 चौसाला खसरा नम्बर 299 का खण्डन किया है हाल खसरा नम्बर 788/985 का खण्डन प्रतिवादी द्वारा नही किया गया है। उक्त खसरा नम्बर हाल राजस्व अभिलेख में वादीगण की खातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर अपना हक व अधिकार सिद्व नही कर पाये है। बिना हक व अधिकार प्रतिवादीगण द्वारा आराजी मुतनाजा पर वादीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी की जाती है तो वादीगण को अपूरणीय क्षति की संभावन से इंकार नही किया जा सकता है। अतः तनकी संख्या 1 व 2 आंशिक बहक वादी व आंशिक बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम अजबा का बाडिया के हाल खसरा नम्बर 788/985 रकबा 0.20 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है तथा ग्राम अजबा का बाडिया के हाल खसरा नम्बर 773 रकबा 0.32 की आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का प्रतिदावा **"स्वीकार"** किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि खसरा नम्बर 788/985 रकबा 0.20 की आराजी पर वादीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी नही करे। तथा खसरा नम्बर 773 रकबा 0.32 की आराजी पर वादीगण के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को खातेदार घोषित किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 7/9/22 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 13:33:18 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

शरीफ बनाम इकबाल

दावा बाबत :— 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर — 95/2020
पेश करने की दिनांक — 14.09.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)—व हाजिर अभिभाषक शांति प्रकाश शर्मा मुद्दई सीताराम रावत अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

उक्तानुसार ग्राम अजबा का बाडिया के हाल खसरा नम्बर 788/985 रकबा 0.20 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है तथा ग्राम अजबा का बाडिया के हाल खसरा नम्बर 773 रकबा 0.32 की आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का प्रतिदावा **"स्वीकार"** किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि खसरा नम्बर 788/985 रकबा 0.20 की आराजी पर वादीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी नही करे। तथा खसरा नम्बर 773 रकबा 0.32 की आराजी पर वादीगण के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को खातेदार घोषित किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 7 माह 09 सन् 2022 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 13:33:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद